CIN No.: U15203RJ2001PTC017217

लोटस डेयरी

लोटस डेयरी प्रॉडक्ट्स प्रा.लि.

5th,6th,7th फ्लोर, सिटी प्लाज़ा मॉल, बनीपार्क, जयपुर – 302016

Website: www.lotusdairy.com, Email: info@lotusdairy.com

फोन न. 0141–4078700 कस्ट्मर केयर न. 9829258061

पार्लर खोलने हेतु आवेदन की नियम एवं शर्तें

1. लोटस पार्लर का आवंटन आरम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा। तदुपरान्त दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की विक्रय का तुलनात्मक विश्लेषण कर पार्लर आवंटन अवधि को समीक्षा उपरान्त अगले 2 वर्ष तक बढाई जा सकती है।

2. पार्लर आवंटन हेतु प्रार्थी लोटस डेयरी को रूपये 5,000/– अक्षरे पॉच हजार रूपये मात्र सुरक्षा राशि की एवज में जमा कराना होगा।

3. यह कि लोटस डेयरी प्रत्येक त्रैमास के अंत में रु. 5000/– प्रतिमाह प्रार्थी को व्यय की प्रतिपूर्ति के पेटे देगी। जो कार्य प्रारंभ होने से एक वर्ष तक देय होगा। यह राशि निर्धारित मार्जिन के अतिरिक्त होगी।

4. डीलर को प्रत्येक माह रू. 50,000/– राशि के लोटस दुग्ध व दुग्ध पदार्थ विक्रय करने होगे। रूपये 50,000/– प्रतिमाह से कम बिक्री पर डीलर को देय रू. 5,000/– प्रतिमाह उसी अनुपात में त्रैमास के अंत में देय होगें।

5. यह कि पार्लर को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, संबंधित एरिया वितरक से नगद भुगतान पर प्राप्त होगें। भुगतान राशि समय पर जमा नहीं करवाने पर अथवा भुगतान बकाया होने की स्थिति में कम्पनी द्वारा वितरण तुरन्त प्रभाव से बिना नोटिस दिये बन्द किया जा सकता है।

6. यह कि कम्पनी बचे हुये दुग्ध व दुग्ध उत्पाद वापस नहीं लिया जायेगा ।

7. यह कि प्रार्थी को अपनी दुकान में लोटस डेयरी के विज्ञापन हेतु आवश्यक जगह उपलब्ध करानी होगी।

8. यह कि डीलर अपने दुकान/कार्यालय/गोदाम का पता व मोबाइल नम्बर कम्पनी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। पते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर तुरंत कम्पनी कार्यालय में सूचित करेगें। डीलर अपने अधीन कार्यरत व्यक्तियों के नाम व पते कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। डीलर के कर्मचारियों द्वारा किये गये सभी कार्यो के लिये डीलर स्वयं जिम्मेवार होंगे।

9. यह कि डीलर को लोटस ब्रांड पॉलीपैक दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद को बिक्री हेतु पार्लर आवंटित किया गया है। यदि डीलर अन्य किसी प्रतिस्पर्द्धी ब्रांड का दुग्ध अथवा दुग्ध उत्पाद बेचते हुए अथवा अन्य किसी भी प्रकार से प्रतिस्पर्धी दुग्ध ब्रांड के व्यवसाय में लिप्त पाये जाते है तो, कम्पनी पहले दिन से किए गए भुगतान की 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित भरपाई की अधिकारी होगी।

10. यह कि डीलर अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा दूध अथवा दुग्ध पदार्थ की पैकिंग में, या उत्पाद किसी प्रकार की छेड़छाड़ अथवा आकृति परिवर्तन, मात्रा परिवर्तन व गुणवत्ता में परिवर्तन आदि करता पाया जाता है तो डीलर पर शास्ति आरोपित की जाएगी तथा पार्लर आवंटन रद्द भी किया जा सकता है।

11. यह कि लोटस दुग्ध का विक्रय मूल्य समय–समय पर कम्पनी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। किसी भी स्थिति में डीलर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर दुग्ध का विक्रय नहीं कर सकते है।

12. यह कि डीलर को निर्धारित समय पर कम्पनी कार्यालय (डिमाण्ड सेक्शन) में वांछित दूध की मात्रा अथवा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की मात्रा की डिमाण्ड लिखानी आवश्यक होगी। निर्धारित समय पर वांछित दूध की मात्रा अथवा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की मात्रा नहीं लिखाने पर पूर्व दिवस की भेजी गई दूध की मात्रा या दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की मात्रा पुनः भेजी जावेगी। अतः इस संबंध में डीलर द्वारा की गई किसी भी शिकायत पर कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी।

13. यह कि यदि डीलर भुगतान करने/क्रेट देने में अनियमितता व विलम्ब करता है तो कम्पनी डीलर पर शास्ति आरोपित कर सकती है तथा अनुबंध निरस्त कर सकती है।

14. यह कि डीलर अपने फर्म, फर्म के संविधान, व्यवसाय की प्रकृति, आदि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कम्पनी को सूचित किये बिना नहीं करेंगे।

15. यह कि डीलर को क्रेटस, विज्ञापन पट, दुग्ध बॉक्स आदि एवं अन्य कोई भी सामान जो लोटस डेयरी द्वारा सौंपा जावेगा, दुग्ध डीलर के पास अमानत के रूप में रहेगा, जिसमें किसी प्रकार की खयानत करने पर डीलर के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा करने का अधिकार कम्पनी को होगा एवं ऐसी स्थिति में इस सामान की कीमत डीलर से वसूल करने का अधिकार कम्पनी को होगा।

16. यह कि डीलर की जिम्मेदारी है कि वह खाली क्रेट, केन इत्यादि प्रतिदिन नियत समय पर लोटस डेयरी द्वारा नियुक्त दुग्ध वितरक को जमा करवाऐं। क्रेट्स आदि के जमा नहीं होने पर उनके मूल्य के बराबर की राशि की वसूली उस समय की प्रभावी क्रय दर पर डीलर से वसूल की जायेगी।

17. यह कि डीलर को अपनी दुकान प्रतिदिन लोटस डेयरी द्वारा निर्धारित समय प्रातः 6.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक खोलना एवं बन्द करना अनिवार्य हैं। ऐसा न करने पर एवं लगातार ऐसी शिकायत मिलने पर गम्भीर अनियमितता मानते हुये पार्लर आवंटन निरस्त किया जा सकता हैं।

18. यह कि डीलर को ऐजेन्सी के निर्धारित क्षेत्र में परिवर्तन का हक नहीं होगा। लोटस दुग्ध विक्रय हेतु जिस क्षेत्र पर अधिकृत किया गया हैं, उसके अलावा अन्य स्थान से बिना कम्पनी की अनुमति के दुग्ध का विक्रय नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करता पाये जाने पर डीलर पर शास्ति आरोपित की जा सकती है तथा पार्लर आवंटन रद्द किया जा सकता है।

19. यह कि लोटस दूध के वितरण एवं विक्रय सम्बन्धी जो भी आदेश समय–समय पर लोटस डेयरी द्वारा दिये जायेगें वे आदेश डीलर को मान्य होगें तथा डीलर उसकी पालना करेगें।

20. यह कि पार्लर जिस नाम से आंवटन होगा उसका संचालन सबंधित व्यक्ति को स्वयं ही करना होगा, किसी और के संचालन करते हुये पाये जाने पर (सबलेट करने पर) पार्लर आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

21. यह कि डीलर के पास खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु स्वयं के नाम से नगर निगम, FSSAI व अन्य सम्बन्धित संस्था से जारी निर्धारित लाईसेन्स होना अनिवार्य हैं। इस संम्बन्ध में किसी भी सरकारी संस्था द्वारा की गयी कार्यवाही व लगाई गई शस्ति वर्ग का दायित्व डीलर का होगा।

22. यह कि डीलर यदि अपरिहार्य कारणों से कुछ समय के लिये दुग्ध वितरण में असमर्थ रहते है तो डीलर को दुग्ध वितरण की तात्कालिक व्यवस्था करनी पडेगी तथा इसकी पूर्व सूचना देकर सम्बन्धित वितरक एंव कम्पनी को उचित कारण बताते हुये ऐसा करने के लिये अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि बिना अनुमति के दुग्ध विक्रय बन्द किया जाता है तो यह मानते हुए कि आप कार्य करने के इच्छुक नहीं है आपको लोटस दूध हेतु पार्लर का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा दुग्ध अथवा खाली क्रेट से संबंधित कोई बकाया हो तो बकाया राशि व सुरक्षा राशि से वसूल कर ली जावेगी।

23. यह कि डीलर वितरण श्रृखला में एंक महत्वपूर्ण कड़ी हैं एवं मार्केट में कम्पनी के ब्राण्ड एम्बेसेडर के रूप में कार्य कर रहे है। अतः उपभोक्ता को संतुष्ट करने का दायित्व जितना कम्पनी का है उतना ही डीलर का भी है। आप द्वारा बेचे जा रहे किसी भी उत्पाद का सेम्पल किसी भी कानूनी रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी लिया जा सकता है। अतः डीलर को इस सम्बन्ध में अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन करना आवश्यक होगा।

24. यह कि पार्लर अहस्तान्तरणीय है तथा डीलर स्वयं निजी रूप से नियत क्षेत्र में विक्रय कार्य करेगा। ऐसा न किये जाने पर डीलर शिप बिना पूर्व सूचना के रद्द की जा सकती है।

25. यह कि लोटस डेयरी के अधिकारियों/निरीक्षकों को डीलर के व्यापार स्थल व दूध व दुग्ध पदार्थ वर्ग का निरीक्षण करने एवं दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थ के सैम्पल लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा डीलर को इस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग देना अनिवार्य होगा।

26. यह कि लोटस दुग्ध वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता करने नियमों व शर्तों का उल्लंघन करने, लोटस डेयरी के आदेशों की अनुपालना नहीं करने पर पार्लर बिना नोटिस दिये समाप्त की जा सकती हैं।

27. यह कि उक्त पार्लर कार्य हेतु डीलर को लोटस दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की सप्लाई कम्पनी द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान के उपरान्त देय होगी।